

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड

गैर हेल्पलाइन :- 07432-230645,
07432 -230646

फोन नं. 07432-230403, फैक्स नं. -230404

Email: dm-jha-rj@nic.in

हॉटसएप्प हेल्पलाइन-9887320044

क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2018/ 687

दिनांक 01.02.2018

आदेश

श्री सुखविन्द्र सिंह आ रेशम सिंह निवासी जे-आर- 32 सिविल लाईन झालावाड जिला झालावाड ने इस कार्यालय मे .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लायसेंस चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक की आपराधिक एवं चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा पत्रांक 815 दिनांक 24.01.2018 से अवगत कराया कि आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये जाने से आवेदक की जांच पूर्ण नही किये जाने से लाईसेंस दिया जाना उचित नही बताया है।

अतः पुलिस अधीक्षक झालावाड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लाईसेंस चाहने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(डा० जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट

झालावाड

दिनांक 01.02.2018

क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2018/ 687-88

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस अधीक्षक झालावाड
2. आवेदक श्री सुखविन्द्र सिंह आ रेशम सिंह, सहायक आचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय निवास जे-आर-32, सिविल लाईन, झालावाड

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

झालावाड